डाक व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत अनुमति पत्र क्र. भोपाल-एम. पी. वि. पू. भु./04 भोपाल-2002.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन एम. पी.-108 भोपाल 2002.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

[क्रमांक 7] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 फरवरी 2002—माघ 26, शक 1923

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2002

क्र. ई 1 208-2001-5-एक.—(1) श्रीमती वीनू सेन, भा.प्र.से. (म.प्र. 1967), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ग्रामोद्योग विभाग तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की सेवाएं, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को, कृषि एवं सहकारिता विभाग में विशेष सचिव एवं केन्द्रीय बाजार आयुक्त के पद पर नियुक्ति हेतु सौंपी जाती हैं.

(2) उपर्युक्तानुसार श्रीमती वीनू सेन, भा.प्र.से. (1967) द्वारा कार्यभार छोड़ने के दिनांक से श्री विजय सिंह, भा. प्र. से. (म. प्र. 1970), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ग्रामोद्योग विभाग भी पदस्थ किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2002

क्र. ई. 5-8-आर.ए.एस.-छुट्टी एक.—(1) श्री आर. सी. साहनी, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को दिनांक 4 फरवरी से 23 मार्च 2002 तक, अड़तालीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 3 फरवरी एवं 24, 25 मार्च 2002 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002

Scanned by CamScanner

(2) अवकाश से लौटने पर श्री साहनी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश काल में श्री साहनी को अवकाश वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साहनी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2002

क्र. ई. 5-231-आय.ए.एस.-लीव-एक-5.— श्री जे. के. शर्मा, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर के दिनांक 24 दिसम्बर 2001 से 25 जनवरी 2002 तक, के अर्जित अवकाश अवधि में श्री ए. के. सिंह, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इंदौर को श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश का कार्य अतिरिक्त रूप से देखने के लिये नियुक्त किया गया था. श्री सिंह अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ श्रमायुक्त, इंदौर का कार्य भी, श्री शर्मा के कर्तव्य पर उपस्थित होने तक, देखेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. मेहरोत्रा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2002

क्र. ई. 1-22-2002-5-एक.— श्री जब्बार ढांकवाला, भा.प्र.से. (1993), अपर कलेक्टर, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल का कार्यभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2002

क्र. ई. 1-28-2002-5-एक.— श्रीमती सलीना सिंह, भा.प्र.से. (1986) नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को, केवल पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना चौधरी, प्रमुख सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2002

संशोधन

क्र. एफ. 7-22-2001-बत्तीस — राज्य शासन विभाग के अधिसूचना दिनांक 8 जनवरी 2002 में निम्नानुसार आंशिक करता है :—

"धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ख)" के स्थान पर "धारा की उपधारा (2) के खण्ड (क)" पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. शर्मा, उपसचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2002

क्र. एफ. 2(क)-14-2001-बी-3-दो.— दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नारकोटिक्स सेल कार्यालय, इंदौर को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के अधीन किए गए अपराधों के तथा अन्य किसी अधिनियम के अधीन किसी अन्य अपराधों के, जिनका दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अधीन एक ही विचारण में एक साथ अन्वेषण किया जा सकता हो, आरोप लगाया जा सकता हो और विचारण किया जा सकता हो, रजिस्ट्रीकरण, अन्वेषण, अभियोजन तथा अन्य सुसंगत कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए पुलिस थाना घोषित करती है.

2. उक्त पुलिस थाना "नारकोटिक्स सेल पुलिस थाना इंदौर" कहलाएगा तथा पुलिस थाने की क्षेत्रीय अधिकारिता का विस्तार, इस प्रयोजन के लिए सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. तिवारी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2002

क्र. एफ. 2(क)-14-2001-बी-3-दो.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 2(क)-14-2001-बी-3-दो, दिनांक 30 जनवरी 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. बी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Scanned by CamScanner